

विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग

Retender Notice (4th Call)

1. विज्ञापनदाता का नाम : कुलसचिव, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग
2. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि : दिनांक 26/07/2022 को 10:30 AM से 2:00 PM तक
3. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय : दिनांक 27/07/2022 को 10:30 AM से 2:00 PM तक
4. तकनीकी बीड़ खोलने की तिथि एवं समय: दिनांक 27/07/2022 के अपराह्न 3:00 बजे
5. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान : (1) समायोजक, महाविद्यालय विकास पर्षद का कार्यालय, हजारीबाग
(2) कुलसचिव का कार्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग
6. निविदा प्राप्ति का स्थान : कुलसचिव का कार्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग

क्र० सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (₹० में)	अग्रधन की राशि (₹० में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (₹० में)	कार्य समाप्ति की अवधि
1.	Renovation & New Construction of Compound Wall with Gate & Security Room for SC/ST Hostel in V.B.U. Campus, Hazaribag	Rs.13,15,080.00	Rs. 26,400.00	Rs. 5,000.00	02 माह

निविदा की शर्त कार्यालय के सूचना पट्ट एवं विश्वविद्यालय वेबसाइट <http://www.vbu.ac.in> पर देखा जा सकता है।

ज्ञापांक- VBU/CCD/C/R/1845/2022

दिनांक- 14.07.2022

प्रतिलिपि:

- (1) The Advertising Manager:
(a) Hindustan(Ranchi & Dhanbad)
With a request to publish in one edition of your esteemed paper in minimum space and cost and send the bill in triplicate for payment.
- (2) University website (<http://www.vbu.ac.in>) with a request to float the tender notice.
- (3) PA to VC/FA/R for kind information to VC/FA/R .


कुलसचिव,
विनोबा भावे विश्वविद्यालय,
हजारीबाग


Singh
14/07/22

निविदा की शर्तें

- (1) भवन निर्माण विभाग झारखण्ड, के संवेदक निबंधन नियमावली 2015 के अनुसार किसी श्रेणी में निबंधित संवेदक उक्त श्रेणी हेतु नियम-2 में वर्णित राशि के अन्तर्गत ही निविदा में भाग लेने हेतु सक्षम होंगे। किन्तु नियमावली के कंडिका 4.6.1 के अनुसार उच्च श्रेणी के संवेदक एक श्रेणी नीचे के निविदा में भाग ले सकेंगे।
झारखण्ड लोक निर्माण विभाग संहिता की कंडिका 163 (e) के अनुसार वैध और समान दर की निविदाओं के मामले में निविदा निष्पादन के प्रधिकार द्वारा पारदर्शी तरीके से लॉटरी की पद्धति अपनायी जायेंगी।
- पूर्व के संहिता/नियम/परिपत्र द्वारा कृत सभी प्रावधान अवक्रमित समझे जायेंगे।
- (2) प्राक्कलित राशि घट-बढ़ सकती है, परिमाण विपत्र में अंकित प्राक्कलित राशि के आधार पर अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र का मूल्य मान्य होगा।
- (3) परिमाण विपत्र मूल्य जिसकी वापसी नहीं की जायगी, राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से लिया जायेगा जो कुलसचिव, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के पद नाम से होगा जिसकी वैधता बिक्री की तिथि से कम से कम 03 माह तक होनी चाहिए।
- (4) परिमाण विपत्र व्यक्तिगत पहचान पत्र के साथ उपस्थित संवेदकों या उनके द्वारा विधिवत प्राधिकृत व्यक्तियों (पहचान पत्र सहित) को ही निर्गत किया जायेगा।
- (5) परिमाण विपत्र के क्रय हेतु आवेदन के साथ निबंधन, अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र, अद्यतन GST निबंधन प्रमाण-पत्र, पेन कार्ड एवं अद्यतन आयकर रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण-पत्र, युकेन वैधता सहित की स्वअभिप्रमाणित प्रति तथा ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत कार्य हेतु निर्गत अनुज्ञा प्रमाण पत्र या अनुज्ञा प्रमाण पत्र धारक के शपथ पत्र के साथ अपना शपथ पत्र (मूल में) संलग्न हो जिसमें कार्य का नाम/पी0आर0 संख्या भी उल्लेखित हो, संलग्न करना आवश्यक होगा। वैसे कार्यों के लिए जिसमें विद्युत कार्य मद नहीं है, विद्युत कार्य संबंधित प्रमाण पत्र/अनुज्ञा पत्र संलग्न करना अनिवार्य नहीं होगा।
- (6) निविदा के साथ क्रमांक 5 में अंकित सभी कागजात के साथ कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा।
- (7) निविदाकार को इस आशय का शपथ पत्र (मूल में) संलग्न करना अनिवार्य होगा कि उनके द्वारा निविदा के साथ संलग्न किया गया सभी कागजात सही है। संलग्न कागजात गलत पाये जाने पर कुलसचिव, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग नियमानुसार कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे। यह शपथ पत्र में यह भी उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि निविदाकार को इस वित्तीय वर्ष में उन्हें वरीयता/स्थानीयता के आधार पर कोई कार्य आवंटित नहीं है। उक्त शपथ पत्र नहीं रहने पर उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (8) कार्य हेतु आवश्यक लघु खनिजों का क्रय खान विभाग द्वारा अनुज्ञा प्राप्त पट्टेदारों व्यक्ति से करना होगा तथा संबंधित खनन पदाधिकारी द्वारा सत्यापन के उपरान्त ही विपत्रों का भुगतान किया जायेगा।
- (9) अग्रधन की राशि एन0एस0सी0 के आठवाँ निर्गम, डाकघर में तीन/पंचवर्षीय सावधि जमा पासबुक के रूप में जमा करना होगा, जो कुलसचिव, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के पदनाम से प्रतिष्ठित होगा एवं इसे कंडिका (5) में निहित अन्य वांछित कागजात सहित संलग्न करना अनिवार्य होगा।

15/10/2022
Singh

15/10/2022
M

- (10) झारखण्ड लोक निर्माण विभाग संहिता की कंडिका 172 (a) के अनुसार सम्प्रति 10 प्रतिशत से नीचे के दर की निविदायें अनुमान्य होंगी।
 10 प्रतिशत से न्युन निविदाओं के लिए Additional Performance Security के क्रम में परिमाण विपत्र की राशि से – (i) 10 से 20 प्रतिशत below तक की राशि का 20 प्रतिशत तथा (ii) 20 प्रतिशत से अधिक below की राशि का 30 प्रतिशत अतिरिक्त जमानत का प्रावधान लागू होगा। पूर्व के संहिता/नियम/परिपत्र द्वारा कृत सभी प्रावधान अवक्रमित समझे जायेंगे।
- (11) कार्य स्थल पर निर्माण सामग्री संवेदक को स्वयं आपूर्ति करनी होगी एवं उनकी सुरक्षा संवेदक को निजी खर्च पर करनी होगी।
- (12) संवेदकों को सरकार द्वारा स्वीकृत न्यूनतम मजदूरी एवं प्रवृत्त सभी करों का भुगतान करना होगा एवं सरकार द्वारा उनमें वृद्धि के पश्चात भी इस आधार पर कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
- (13) एक निबंधन पर दो से अधिक कार्यों का परिमाण विपत्र देय नहीं होगा।
- (14) कार्य आंवटित होने पर एक सप्ताह के अंदर निर्धारित विपत्र में एकरारनामा कर लेना होगा अन्यथा अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाएगी।
- (15) वैसे संवेदक निविदा में भाग नहीं लेंगे, जिनका किसी भी विभाग के साथ धोखधड़ी का मामला चल रहा हो या कोई पूर्व आंवटित कार्य की प्रगति नितांत असंतोषजनक हो अथवा लंबित हो।
- (16) निविदा कागजात के साथ संलग्न विशेष शर्त इस निविदा आमंत्रण सूचना का अभिन्न अंग होगी।
- (17) सशर्त निविदा अमान्य होगी।
- (18) बिना कारण बताये एक या सभी निविदा को स्थगित करने या रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
- (19) परिमाण विपत्र बिक्री एवं प्राप्ति तिथि का किसी कारण वश सरकारी अवकाश होने पर संबंधित कार्य अगले कार्य दिवस को सम्पन्न होंगे।
- (20) निधि उपलब्ध होने पर ही एकरारनामा किया जाएगा एवं भुगतान संभव होगा तथा इस आधार पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- (21) सामान्यतः कार्य के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
- (22) निविदा देने के पूर्व कार्य स्थल की परिस्थिति एवं निर्माण सामग्री की उपलब्धता के संबंध में संतुष्ट हो लें ताकि बाद में इस आधार पर कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
- (23) यदि निविदाकार परिमाण विपत्र के क्रय के बाद दो से अधिक बार निविदा में भाग नहीं ले चुके हो तो इस निविदा हेतु परिमाण विपत्र निर्गत करना विचाराधीन होगा।
- (24) विशेष जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी से संपर्क करें या सूचना पट्ट देखें।
- (25) जमा कार्यों (Deposit work) के लिए परिमाण विपत्र से अधिक दर/राशि मान्य/देय नहीं होगा।
- (26) निर्मित योजना का पाँच वर्षों तक रख-रखाव का दायित्व चयनित संवेदक का होगा। निविदादाता स्थलीय स्थिति देख लेंगे एवं सही, संतुष्ट होने के बाद ही निविदा में दर अंकित करेंगे।
- (27) बिजली, पानी एवं कार्य में लगने वाली अन्य सामग्री की व्यवस्था संवेदक को स्वयं करनी होगी। प्रभारी अभियंता की लिखित सहमति प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण से संबंधित सामग्री लगानी होगी।
- (28) निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कार्य समाप्त करने की जिम्मेवारी संवेदकों की होगी एवं इस कार्य के लिए संवेदक को अलग से कोई राशि देय नहीं होगी, बल्कि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर प्राक्कलित राशि की 10 प्रतिशत एक मुश्त जुर्माना वसुल किया जायेगा। कार्य अपूर्ण

15/03/22
Ranjan

15/3
Ranjan

रहने की स्थिति में संवेदक के अन्य कार्य आवंटित किये जाने के दावे का कोई अधिकार नहीं होगा।


- (29) संवेदकों का चयन नियमानुसार गठित निविदा समिति द्वारा किया जाएगा। बिना कारण बताए किसी भी निविदा को खीकृत/अखीकृत करने का अधिकार समिति के पास सुरक्षित होगा।
(30) किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में विश्वविद्यालय के द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा।
(31) किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद के मामले में निवटारा जिला- हजारीबाग के स्थानीय न्यायालय में ही किया जाएगा।
(32) योजना निर्माण के बिल विपत्र के साथ फोटोग्राफ लगाना अनिवार्य होगा।
(33) फर्म को तकनीकी बीड (Technical Bid) एवं वित्तीय बीड (Financial/Price Bid) को दो अलग-अलग लिफाफों में उभरी सील (Embossed Sealed) करके एक उभरी सीलबंद लिफाफे में जमा करना है। निविदा संबंधित सभी लिफाफे उभरी सीलबंद नहीं होने पर उनके निविदा पर विचार किसी स्थिति में नहीं किया जायेगा।
(34) अग्रधन राशि के पासबुक के कागजातों को तकनीकी बीड के लिफाफे में डालना आवश्यक होगा।
(35) सर्वप्रथम तकनीकी बीड खोला जायगा एवं तकनीकी रूप से दक्ष (उत्तीर्ण) पाये गये फर्म का ही वित्तीय बीड खोला जायगा।


Note:- The bid proposals are to be sealed in two separate embossed sealed envelopes (i) Technical bid (ii) Price bid/ Financial bid and kept in one embossed sealed envelope duly addressed as follows:

Tender for the Work

Memo No. :-

From, M/s..... Address..... Contact no..... Email-id.....	To, The Registrar Vinoba Bhave University, Hazaribag- 825301
---	--


कुलसचिव,
विनोबा भावे विश्वविद्यालय,
हजारीबाग


A.K.
14/07/22